(मूल्य 100/– रूपये)

राजस्थान राज्य बेवेरेज निगम लिमिटेड
(राज्य सरकार का उपक्रम)
वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
Phone : 0141-2744235,2744234

निविदा प्रपत्र

विषयः टैक्सी (चार इंडिका वी–2, मॉडल वर्ष 2009 से पूर्व का नही हों) तथा As and when basis पर Indigo Car, Scarpio, Qualis, सेवाओं हेतु मुहरबंद निविदा दो वर्ष की संविदा हेतु।

1. निविदादाता का नाम एवं स्थाई पता : ....
....
....
2. निमित्त व्यक्ति का नाम : प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान स्टेट बेवेरेज निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. पंजीकृत कार्यालय का पता : ....
4. दूरभाष नम्बर : ....
5. फैक्स नम्बर/ई–मेल : ....
6. निविदा फार्म शुल्क की राशि 100/– रूपये नगद रसीद संख्या .... के द्वारा दिनांक .... को जमा कराई जा चुकी है।
7. अमानत राशि के निमित्त रूपये.................(अक्षरे)
देय ड्राफ्ट/पे–आर्डर संख्या ....दिनांक.........................संलग्न है।
8. निविदा में दी गई दरें, निविदा खोलने की तिथि से तीन माह तक वैध होगी।
9. दिये गये रेट दो वर्ष तक प्रभावी होगी।
10. उपरोक्त दरें आदेश दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगी।
11. टिन संख्या/आर.एस.टी. नं. का उल्लेख एवं बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है–हाँ/नहीं।

12. वाहन उपलब्ध कराने की दर :–

वाहन का मेक	न्यूनतम मासिक किराया 1500 कि.मी. तक POL व ड्राईवर सहिंत		दर 1500 कि.मी. से अधिक की, रूपये / प्रति कि.मी.		रात्रि चार्ज प्रतिदिन जयपुर से अन्यत्र स्थान पर यात्रा की स्थिति में
	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉनए.सी.	
1. इण्डिका वी–2, डीजल (वाहनो की संख्या–4)क्रय वर्ष पंजीकरण 2009 अथवा उपरांत का हो					
2. As and when basis पर Indigo Car, Scarpio, Qualis Indica V-2, मैक का वर्ष (i)........................ (ii)........................ (iii)........................ (iv)........................	ए.सी.	नॉन ए.सी.	दर न्यूनतम प्रतिदिन दर प्रति कि.मी.		

13. हमें निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में अंकित समस्त शर्ते मान्य है एवं हमने प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी टोकन सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किये है।

दिनांकः .... निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>निविदा की शर्ते</u>

निगम द्वारा दर संविदा पर दो वर्ष के लिए इण्डिका वी–2 गाडी (टैक्सी) तथा As and when basis पर Indigo Car, Scarpio, Qualis, Indica डीजल कार किराये पर लिये जाने हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते निम्नलिखित प्रकार से है:–

1. इंडिका वाहन का मैक वर्ष 2009 या इससे उपरांत वर्ष का नही होने पर, वह निविदा प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कर दी जावेगी अन्य वाहनों का मेक वर्ष 2008 अथवा उपरांत का होना चाहियें।
2. निविदा निविदा प्रपत्र में अंकित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिये।
3. गाड़ी का उपयोग स्थानीय एवं जयपुर एवं अन्य जिलो एवं राज्य से बाहर भी जाने के लिये किया जा सकता है।

4. सामान्यतः अनुबंधित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक कार्य करेगा। निर्धारित समय से पूर्व/पश्चात् वाहन काम में लेने हेतु सक्षम अधिकारी अधिकृत है।
5. रविवार को वाहन का अवकाश रहेगा किन्तु आवश्यकतानुसार रविवार के दिन भी क़ाम में लिया जा सकता है, जिसका कोई अतिरिक्त प्रभार देय नही होगा।
6. वाहन टैक्सी परमिट धारी होने चाहिये।
7. वाहन उपलब्ध नहीं होने/गैर हाजिर होने पर विभाग द्वारा बाजार से उस दिन/दिनों के लिये वाहन किराये पर लिया जावेगा एवं यदि यह अनुबंधित दर अधिक होती है तो अधिक राशि की वसूली निविदादाता के बकाया बिल/अमानत राशि से की जावेगी।
8. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण जाँच, वाहन चालक का लाईसेंस आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।
9. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा सम्बन्धित अधिकारी से लॉग बुक में प्रविष्टियाँ दर्ज करानी होगी।
10. किसी प्रकार की टूट–फूट होने, दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी/जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
11. डीजल, ऑयल मरम्मत एवं संधारण चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा।
12. अनुबंधित वाहन के मरम्मत पर रहने पर विभाग को दूसरा वाहन उपलब्ध करवाना होगा, जो अनुबंधित वाहन के समान हो अथवा बेहतर हो।
13. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं निगम उसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
14. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है, जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
15. गाड़ी किलो मीटर गणना, गाड़ी के कार्यालय आने से पुनः कार्यालय से जाने तक की जावेगी।
16. राज्य में वाहन जाने पर समस्त प्रकार के कर, व्यय इत्यादि वाहन मालिक को वहन करने होंगे। टोल टैक्स का व्यय निगम द्वारा वहन किया जावेगा।
17. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबन्ध की अवधि से पूर्व अपना वाहन स्वेच्छा से हटाया जाता है तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दी जावेगी।
18. वाहन मालिक द्वारा 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा करना होगा एवं वाहन मालिक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा।
19. निगम अनुबंधित वाहन को 7 दिवस का पूर्व नोटिस देकर हटा सकता है।
20. यह वाहन अनुबंध से दो वर्ष के लिये प्रभावी होगा। दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध अवधि बढ़ाई जा सकती है।
21. आयकर कटौति तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जानेवाले कर मासिक बिल में से काट कर नियमानुसार जमा कराये जावेगे जिसकी रसीद निर्धारित

प्रपत्र में निगम द्वारा वाहन मालिक को दी जावेगी। यह समस्त कर राशि स्वीकृत दर से ही काटी जावेगी एवं अलग से देय नहीं होगी।

22. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर विभाग तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा जिस संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा।

23. निविदाएं सील़ बंद लिफाफे में दिनांक 20.09.2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् निविदाऐं प्राप्त नहीं की जावेगी।

24. निविदाऐं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2010 को अपराह्न 4.00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

25. दरें अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नहीं की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन/कटिंग या अस्पष्ट लिखी हुई होगी, उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे।

26. समान दरे आने पर नवीनतम वर्ष के मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।

27. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।

28. सफल निविदा दाता के द्वारा अनुबंध निष्पादन के समय सामान/संविदा के मूल्य के 5% के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करायी जायगी। निविदादाता की बयाना (अमानत) राशि प्रतिभूति निक्षेप में समायोजित की जाएगी।

29. किसी भी विवाद की स्थिति मे प्रबन्धक निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा एवं विधिक (Legel) वाद मे कार्य क्षेत्र जयपुर होगा।

30. टेण्डर की वैधता इनके खोलने से तीन माह तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता की दरें अनुमोदित की जावेगी उसे उपलब्ध कराये जानेवाले वाहन की समस्त स्थितियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लेनी चाहिये।

31 इण्डिका वी–2(चार वाहन) तथा As and when basis पर Indigo Car, Scarpio, Qualis, Indica एक निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध करवाई जानी है।

32 **निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवायें जाने वाले वाहनों में से न्यूनतम एक या अधिक इण्डिका वी–2 स्वयं के नाम पंजिकृत होने वाले निविदादाता को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी एवं कय समिति का समस्त तथ्यों के मद्देनजर इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम, सर्वमान्य होगा। जिसके प्रमाण स्वरूप दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें** As and when basis पर Indigo Car, Scarpio, Qualis, Indica V-2, **अतिरिक्त, प्रस्तावित दरों पर उपलब्ध करवानी होगी।**

हस्ताक्षर निविदादाता
मय कम्पनी की मोहर